

आक्रामक वदेशी प्रजातियों को खतरा

प्रलिम्स के लिये:

आक्रामक वदेशी प्रजातियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जैव-विविधता पर कन्वेंशन (CBD), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, IUCN लाल सूची

मेन्स के लिये:

आक्रामक प्रजातियों की वृद्धि और उनके प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हालिया वर्षों में **आक्रामक वदेशी प्रजातियों (Invasive Alien Species- IAS)** के मुद्दे ने मूलतः **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** जैसे क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित किया है, जहाँ चीतल जैसी प्रजातियों का प्रसार देशी वनस्पतियों एवं जीवों के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा बन गया है।

आक्रामक वदेशी प्रजातियाँ क्या हैं?

परिचय:

- आक्रामक वदेशी प्रजातियाँ (IAS) **गैर-देशीय जीव** हैं, जिनमें पौधे, जानवर, रोगजनक और अन्य शामिल हैं, जिनमें उनके प्राकृतिक आवास के बाहर लाया गया है, जो **आर्थिक, पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न** करते हैं।
- जैव-विविधता पर कन्वेंशन (CBD)** के अनुसार, IAS की पहचान संसाधनों हेतु देशी प्रजातियों को मात देने की उनकी **"आते हैं, जीवित रहते हैं और फलते-फूलते हैं (arrive, survive, and thrive)"** की क्षमता से होती है।
- भारत में IAS को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2022 में संशोधित) के तहत गैर-देशी प्रजातियों के रूप में परभाषित किया गया है, जो वन्यजीवों या आवासों के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।
- ये **प्रतस्पर्द्धा, शिकार या रोगजनकों** के संचरण के माध्यम से **देशी प्रजातियों के हरास या उनमूलन** का कारण बनकर जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- आक्रामक प्रजातियाँ स्थानीय पारस्थितिक तंत्र और पारस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बाधित करती हैं, जिससे पारस्थितिक असंतुलन एवं नविस स्थान की हानि होती है।
- आक्रामक प्रजातियाँ आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, विशेषतः विकासशील देशों में जहाँ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन आय के आवश्यक स्रोत हैं।
- आक्रामक वदेशी प्रजातियाँ भूमि और समुद्र के उपयोग में परिवर्तन, जीवों के प्रत्यक्ष शोषण, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण के साथ-साथ **वशिवस्तर पर जैव-विविधता हानि के पाँच प्रमुख प्रत्यक्ष संचालकों में से एक** हैं।

उदाहरण:

- अफ्रीकी कैटफिश, नील तलापिया, रेड-बेलडि परिन्हा और एलीगेटर गार जैसी प्रजातियाँ** भारत में आक्रामक वन्यजीवों की सूची में प्रमुख हैं।
- रेड इयरड स्लाइडर**, एक उत्तरी अमेरिकी कछुआ, जो एक पालतू जानवर के रूप में लोकप्रिय है, को भारतीय जल निकायों में लाया गया है, जो भोजन और आवास के लिये देशी प्रजातियों को पीछे छोड़ रहा है।

मूल वनस्पति और जीवों पर प्रभाव:

- IUCN रेड लिस्ट** में शामिल 10 में से 1 प्रजातियों को आक्रामक वदेशी प्रजातियों से खतरा होता है।
- आक्रामक प्रजातियाँ खाद्य शृंखलाओं को बाधित करती हैं और पारस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देती हैं, अक्सर प्राकृतिक प्रतस्पर्द्धियों से रहित आवासों पर हावी हो जाती हैं।
- 17वीं शताब्दी के बाद से, IAS ने सभी **ज्जात जानवरों के विलुप्त होने में लगभग 40% का योगदान** दिया है, जो जैवविविधता हानि में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
- केस स्टडी: क्वेलादेव राष्ट्रीय उद्यान**, राजस्थान में अफ्रीकी कैटफिश जलपक्षी और प्रवासी पक्षियों का शिकार करती है, जिससे

उद्यान की पारस्थितिक गतशीलता पर प्रभाव पड़ता है।

■ प्रवर्धित क्षति:

- **जलवायु परिवर्तन**, प्रदूषण, आवास हानि और मानव-प्रेरित उपद्रव IAS से होने वाले नुकसान को बढ़ाती है, जिससे पारस्थितिक तंत्र एवं मानव कल्याण पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- जैसा कि **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 15** में बताया गया है, जैविक आक्रमण मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका को भी खतरे में डालते हैं।

■ IAS के आर्थिक प्रभाव:

- **जैवविविधता और पारस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच (IPBES)** ने दुनिया भर में 37,000 से अधिक स्थापित वदेशी प्रजातियों की सूचना दी, जिनकी वार्षिक आर्थिक लागत 423 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में जैविक आक्रमण की अनुमानित आर्थिक लागत 182.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है, जो अर्थव्यवस्था और आजीविका के लिये दूरगामी परिणामों पर जोर देती है।
- **उदाहरण:** भारत में एक आक्रामक प्रजाति, **कॉटन माइलबग (cotton mealybug)**, ने दक्कन क्षेत्र में कपास की फसलों की उपज को काफी हानि पहुँचाई है।



आक्रामक वदेशी प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित पहल क्या हैं?

■ वैश्विक:

- **जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD):**
 - CBD और भारत सहित इसकी पक्ष IAS के प्रभाव को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हैं।
 - CBD के अनुच्छेद 8 (h) में कहा गया है कि प्रत्येक पक्ष को पारस्थितिक तंत्र, आवास या प्रजातियों को संकट में डालने

वाली वदिशी प्रजातियों के आगमन को रोकना, नयित्तरति करना या उनका उन्मूलन करना चाहिये।

- CBD वैश्विक प्रथमकिताएँ, दशानरिदेश नरिधारति करने के साथ ही जानकारी भी एकत्तर करता है और आक्रामक वदिशी प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में सहायता प्रदान करता है।
 - कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्विक जैवविधिता ढाँचा:
 - हाल ही में अपनाए गए कुनमगि-मॉन्टरयिल वैश्विक जैवविधिता फरेमवरक के लक्ष्य 6, जो UN-CBD के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसके अंतगत भारत सहति सदस्य देशों को वर्ष 2030 तक जैवविधिता तथा पारस्थितिकी तंत्र की सेवाओं पर आक्रामक वदिशी प्रजातियों के प्रभाव को 50% तक कम करने की आवश्यकता है।
 - IUCN आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह (ISSG):
 - वैश्विक आक्रामक प्रजाति डेटाबेस (GISD) के साथ प्रस्तुत तथा आक्रामक वदिशी प्रजातियों के वैश्विक पंजीकरण का प्रबंधन भी करता है।
 - प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करने के लिये वर्गीकरण समूहों में आक्रामक प्रजातियों पर जानकारी प्रदान करता है।
- भारत:
- राष्ट्रीय जैवविधिता कार्य योजना:
 - इसका लक्ष्य 4 वशिष रूप से आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम एवं प्रबंधन पर केंद्रति है।
 - आक्रामक वदिशी प्रजाति पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPINVAS):
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया, NAPINVAS नए परचिय को रोकने, स्थापति IAS की शीघ्र पहचान, नयित्तरण के साथ-साथ प्रबंधन पर केंद्रति है।
 - राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति सूचना केंद्र (NISIC):
 - यह केंद्र भारत में आक्रामक प्रजातियों के संबंध में जानकारी एवं संसाधन प्रदान करता है और साथ ही इस मुद्दे के बारे में जागरूकता में वृद्धिकरता है।
 - पादप संगरोध (भारत में आयात का वनियमन) आदेश, 2003:
 - कृषि एवं सहयोग वभिग (DAC) के अंतगत यह IAS की शुरुआत को रोकने हेतु पौधों के साथ-साथ पौधों की सामग्री के आयात को भी नयित्तरति करता है।

प्रजातियों के प्रकार	परभिषा
वदिशी प्रजातियाँ	एक प्रजाति, उप-प्रजाति, अथवा नचिला टैक्सोन, जसिे उसके प्राकृतिक अतीत या वर्तमान वतिरण के बाहर प्रस्तुत किया गया है, जसिमें इसके भाग, युगमक, बीज, अंडे या प्रोपेग्यूलस शामिल होते हैं।
आक्रामक वदिशी प्रजातियाँ	एक वदिशी प्रजाति जसिेके आगमन अथवा प्रसार से क्षेत्तर या नविस की जैवविधिता को खतरा होता है।
प्राकृतिकीकृत प्रजातियाँ	वदिशी प्रजातियाँ जो लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बनिा अथवा मानवीय हस्तक्षेप के बावजूद कई जीवन चक्रों या एक नश्चिति अवधि के लिये स्वयं-प्रतस्थिापन आबादी को बनाए रखती हैं।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. वशि्व स्तर पर और भारत के संदर्भ में आक्रामक वदिशी प्रजातियों के आर्थिक नहितार्थ का मूल्यांकन कीजिये। आक्रामक प्रजातियाँ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्तरों को कैसे प्रभावति करती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) तथा वन्य प्राणजित एवं वनस्पतजित की संकटापन्न स्पीशीज़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभसिमय (CITES) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

1. IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है।
2. IUCN प्राकृतिक वातावरण के बेहतर प्रबंधन के लिये वशि्व भर में हज़ारों क्षेत्तर-परयोजनाएँ चलाता है।
3. CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकनि यह कन्वेंशन राष्ट्रीय वधियों का स्थान नहीं लेता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

??????:

प्रश्न. भारत में जैवविविधता किस प्रकार भिन्न है? जैवविविधता अधिनियम, 2002 वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/threat-of-invasive-alien-species>

